कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक / सहायता / बाढ / मरम्मत / 2022 / 1606 दिनांक : 17.11.22

प्रशासनिक स्वीकृति

शासन उप सचिव, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ. 8(15)आ.प्र. एवं सहा. / प्रस्ताव / बाढ / 22 / 12851–59 दिनांक 14.11.2022 द्वारा मानसून, 2022 के दौरान भारी वर्षा से जयपुर जिले के उपखण्ड चौमूं में क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड–फुलेरा से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार सडकें, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, के अनुसरण में जयपुर जिले की उपखण्ड चौमूं क्षेत्र की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंषा सहित प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मरम्मत कार्य करवाये जाने हैं। उक्त आदेशों की अनुपालना में नीचे अंकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :–

कार्यकारी अभिकरण : अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड–फुलेरा, जयपुर

उपखण्ड – चौमूं

क.सं.	सडक मरम्मत कार्य का नाम	राशि (लाखों में)
1	उदयपुरिया मोड से मून्डरू वाया खीजरोली किमी. 0 / 00 से 10 / 00	10.00
2	उदयपुरिया मोड से मून्डरू वाया खीजरोली किमी. 10 / 500 से 19 / 200	8.70
3	मनोहरपुरा (एन.एच.–8) से इटवा भोपजी (एस.एच.–37सी) के माध्यम से नवलपुरा ढोली परमोनपुरा बरवारा नांगल भार्दा बिशनपुरा और चारणवास केएम .27 / 500 से 44 / 00 से 44 / 00	2.85
4	बीलवाड़ी (एन.एच.–248ए) से ढोढसर (एन.एच.–57) वाया पालडी खोरा लाडखानी मनोहरपुर बिशनढ़ राडावास, गोविन्दपुरा, बासरी, बिलान्दरपुर, सिंगोद खुर्द, सिंगोद कलां किमी. 59 / 900 से 73 / 00	5.50
5	कनरपुरा से रायथल वाया घिनाई 0 to 6	3.60
6	एनएच –11 लोहारवाड़ा मलिकपुर 0 to 2	1.20
7	सम्पर्क सड़क कुशालपुरा 0 to 2.4	1.44
8	सम्पर्क सड़क विजय सिंहपुरा 0 to 2	1.20
9	सम्पर्क सड़क देवथला 0 to 2.06	1.24
10	सम्पर्क सड़क से कालू का बास 0 to 0.83	0.50
11	सम्पर्क सड़क से बारवाडा 0 to 1.5	0.90
12	ढोढसर से रायसिंह का बास 0 to 3	1.80
13	ढोढसर खजरोली सड़क से नादिया 0 to 2	1.20
14	सामोद से ढेहरा 0 to 2.7	1.62
15	हस्तेडा बधाल सड़क से विजय नगर 0 to 2.05	1.23
16	सम्पर्क सड़क से बागा का बास 0 to 1.05	0.63
17	कालाडेरा गोविंदगढ़ सड़क से उगरियावास 0 to 1.92	1.15
18	आलीसर से धामा का बास 0 to 4.125	2.48
19	नांगल कलां से रेल्वे फाटक 0 to 1.35	0.81
20	आलीसर से चारणवास 0 to 2.2	1.32
21	सम्पर्क सड़क कंवरपुरा 0 to 2.2	1.32
22	चोमू रेनवाल सड़क से मण्डा भिण्डा 0 to 2	1.20
23	खेजरोली रींगस सड़क से लक्ष्मीनाथजी का मंदिर किमी 0 / 0 से 1 / 0	0.60
24	कालू का बास से कुंभपुरिया किमी. 0 / 0 से 1 / 800	1.08
25	सिंगोद खुर्द के किमी. 0 / 0 से 3 / 0	1.80
26	ढेहरा से मानपुरा माचेड़ी शिव मंदिर तक किमी. 0 / 0 से 2 / 370	1.42
27	रायपुर का महादेव मोड गाँव नांगल कोजू के माध्यम से सेवा की ढाणी किमी. 0 / 0 से 2 / 225	1.34
28	अमरपुरा तिगारिया सड़क से बारवाड़ा तिगरिया सड़क तक किमी 0 / 00 से 2 / 09	1.25
29	निवाना तिगरिया सड़क (बास का टिबा) से नांगल भरड़ा चारणवास 0 to 1.92	1.15
30	धानोता पटवार भवन से गुर्जरो की ढाणी 0 to 2.1	1.26
31	मुख्य बस स्टैंड तिगरिया से थांडू हनीवाल की ढाणी 0 to 3.375	2.03
32	अमरपुरा सरकारी स्कूल से भूरा भागड़ा की ढाणी 0 to 1.5	0.90
33	एस.एच.–37सी पंचायाट भवन से ढाणी सूरज माली की 0 to 2.125	1.28
34	सिमारला सड़क (मिसरेडी मोड) हदरामपुरा 0 to 3	1.80
35	मोरिजा से ढाणी खिंका की 0 to 2.365	1.42

36	मोरिजा सड़क (एस.एच.–88) से ढाणी नाई कोठी की 0 to 2.045	1.23
37	चिथवाड़ी सड़क से ढाणी जोडला कुमावत की 0 to 3.545	2.13
38	एस.एच.–37सी (नाथ की प्याऊ से ढाणी सिंगला की वाया ढाणी डाबरों की 0 to 2.045	1.23
39	लिंक सड़क से नांगल कोजू मोड कॉलोनी से चोखाली का बास 0 to 1.09	0.65
40	तिगरिया धानोता सड़क से ढाणी पोखरीया वाली की 0 to 1.97	1.18
41	नांगल कोजू राजकीया विद्यालय से ढाणी थोट वाली की 0 to 2.45	1.47
42	तिगरिया से ढाणी डुम्बी की 0 to 3.285	1.97
43	कुशलपुरा पंचायत भवन से ढाणी चामंड़ावास की 0 to 0.995	0.60
44	नांगल भरड़ा से ढाणी टटोरी की 0 to 1.85	1.11
45	खेजरोली पार्क से ढाणी लेस्वा की नंबर 2 0 to 3.95	2.37
46	एनएच –11 से देवन्दों की ढाणी ढोढसर 0 to 1.39	0.83
47	नांगल कोजू से फुलाई बिलान्दरपुर 0 to 3.75	2.25
48	निवाना तिगरिया सड़क से ढाणी नाडी वाली वाया खारी वाली 0 to 1	0.60
49	कलाडेरा से विमलपुरा सड़क 0 to 3.3	1.98
50	गोविंदगढ़ से स्यायू 0 to 1.5	0.90
51	कानपुरा से करीरों की ढाणी 0 to 1.9	1.14
52	फतेहपुरा से ढाणी ढाकला की 0 to 1.35	0.81
53	सिंगोद कलां से ढाणी खाडिया की 0 to 3.1	1.86
54	सिंगोद खुर्द से ढाणी चारणवास 0 to 2.45	1.47
55	खेजरोली सड़क (एस.एच.–37सी) पावर हाउस से ढाणी तुन्डका की 0 to 1.75	1.05
56	बालाखेरा गांव से ढाणी मंगल काकोडिया की 0 to 3.65	2.19
57	दौलतसिंह का बास से ढाणी जरीवाली 0 to 2.3	1.38
58	नांगल भरड़ा से ढाणी ठाकरसी नंबर 2 0 to 1.95	1.17
59	नांगल भरड़ा से ढाणी पीपलोदा की 0 to 1.6	0.96
60	हाथनोदा से ढाणी मीणा की 0 to 1	0.60
61	सबलपुरा से गोरी का बास 0 to 2.35	1.41
62	रेलवे लाइन नया बास टांकरड़ा 0 to 2	1.20
63	गोविंदगढ़ को राय सिंह का बास 0 to 2	1.20
64	कंवरपुरा से खजरोली पेट्रोल पंप वाया सरस दुध डेयरी 0 to 3.5	2.10
65	धाना का बास सड़क से जालिम सिंह का बास 0 to 2.3	1.38
66	नोपुरा (हस्तेडा) से दाम्बा का बास 0 to 2	1.20
67	सीरसा फाटक से रींगस सीमा तक 0 to 1.1	0.66
68	कुशालपुरा (छापर का शेर) से चंदवाजी सड़क 0 to 1	0.60
69	बधाल सड़क से गीदा का बास 0 to 2.3	1.38
70	कालाडेरा से अनोपपुरा बॉर्डर 0 to 1.75	1.05
71	खेजरोली से बुरोला (पप्पू की ढाणी) के माध्यम से बाब की ढाणी 0 to 1.7	1.02
72	कृषि मण्डी सड़क से वीर हनुमान जी सड़क वाया गुर्जरो की ढाणी 0 to 2	1.20
73	अमरपुरा से बरवाड़ा सड़क (नारोलाई) से मीणो की ढाणी 0 to 1.9	1.14
74	हाडोता से लोहरवाड़ा 0 to 3	1.80
75	अमरपुरा से सरकारी स्कूल से भूरा बागड़ा की ढाणी 0 to 0.63	0.38
76	तिगरिया फूली का बाड से लहरियों की ढाणी 0 to 0.65	0.39
77	भूटेड़ा से हाबू का बास 0 to 2	1.20
78	सबलपुरा से रायथल 0 to 1.1	0.66
79	सम्पर्क सड़क से बिशनपुरा चारणवास 0 to 1	0.60
80	सम्पर्क सड़क मंदा भिंडा बस स्टैंड से हस्तेड़ा 0 to 3.7	2.22
81	सम्पर्क सड़क हस्तेड़ा से बडहल 0 to 4	2.40
82	सम्पर्क सड़क हस्तेड़ा रींगस सड़क से भूटेड़ा 0 to 2.5	1.50
83	सम्पर्क सड़क हाथनौदा से भोपावास 0 to 1.45	0.87
84	सम्पर्क सड़क चोमू रींगस सड़क से नांगल कलां 0 to 2.45	1.47

85	सम्पर्क सड़क गोविंदगढ़ से धोबलाई 0 to 3.95	2.37
86	सम्पर्क सड़क चोमू रेनवाल सड़क से बाई का बास 0 to 1.6	0.96
87	सम्पर्क सड़क कालाडेरा मलिकपुरा से नरसिंहपुरा 0 to 0.7	0.42
88	सम्पर्क सड़क किशनपुरा से रणजीतपुरा 0 to 2	1.20
89	सम्पर्क सड़क चोमू रेनवाल से कृषि विज्ञान केन्द्र, टांकरड़ा 0 to 1.82	1.09
90	सम्पर्क सड़क हस्तेड़ा कालाडेरा सड़क से खनीपुरा 0 to 1.29	0.77
91	सम्पर्क सड़क तिगरिया से बरवाड़ा वाया बावड़ी 0 to 5	3.00
92	सम्पर्क सड़क चोमू रेनवाल सड़क से बावरी गोपीनाथ 0 to 2.6	1.56
93	सम्पर्क सड़क किशनपुरा सड़क से उदग्वार 0 to 3.47	2.08
94	सम्पर्क सड़क गुवार्डी 0 to 0.96	0.58
95	सम्पर्क सड़क समरपुरा 0 to 1.18	0.71
96	सम्पर्क सड़क कानपुरा 0 to 0.98	0.59
97	लापता लिंक बिशनपुरा को चारणवास से 0 to 1.4	0.84
98	मिसिंग लिंक मण्डा भिण्डा से हस्तेड़ा 0 to 2	1.20
99	मिसिंग लिंक आस्ती मोड़ से बधाल 0 to 2.5	1.50
100	सम्पर्क सड़क इटावा भोपजी से धोबलाई 0 to 4.4	2.64
101	सम्पर्क सड़क विमलपुरा से दम्बा का बास 0 to 2	1.20
102	सम्पर्क सड़क कानपुरा से शम्भुपुरा 0 to 3.4	2.04
103	सम्पर्क सड़क समोद बाग से सुल्तानपुरा (राजीव गांधी स्कूल) 0 to 1.6	0.96
104	सम्पर्क सड़क विजयसिंहपुरा से झीण्डा 0 to 1.38	0.83
105	सम्पर्क सड़क फतेहपुरा से पाल की ढाणी 0 to 1.68	1.01
106	मिसिंग लिंक टांकरडा से को नया बास 0 to 0.9	0.54
107	मिसिंग लिंक धोबलाई से रायसिंह का बास 0 to 2.2	1.32
108	मिसिंग लिंक विजय नगर को लालसार मण्डी सीमा 0 to 1.6	0.96
109	सम्पर्क सड़क ढोढसर सिंगोद कलां सड़क से बड वाली ढाणी 0 to 0.7	0.42
110	ढोढसर से कल्याण मोड रोड 0 to 3.15	1.89
111	सम्पर्क सड़क चोमू रेनवाल सड़क से डोला का बास 0 to 1.6	0.96
	कुल योगः–	165.02

उपरोक्तमरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेगें।

1. उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश कमांक 10645–55 दिनांक 08.09.2022 एवं दिशा–निर्देश कमाक 9362–63 दि. 26.07.22 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेगें।
2. ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगें। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होगें, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेगें।
3. वे सडकें जो Defect Liability Period के तहत आती हैं अथवा वे सडकें जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं तथा पेचवर्क से ठीक करने लायक नहीं है, उनकी मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
4. कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेगें कि *उनके पास राज्य बजट मद अनुरक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्भरण कर दी जावेगी।*
5. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।
6. कार्यकारी विभाग बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यारम्भ नहीं करेगें, अगर कार्यारम्भ किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
7. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/ तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
8. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार/विकास अधिकारी/सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की

सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय–समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र प्रेषित करेगी।

9. अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
10. कार्यकारी अभिकरण पूर्व के बकाया आक्षेपों की पूर्ति उपरोक्त स्वीकृत कार्यों के भुगतान से करवाना सुनिश्चित करें।
11. **उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।**

जिला कलक्टर,
जयपुर

क्रमांक/सम/ 1607-12 दिनांक : 17.11.22

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर
3. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड– फुलेरा, जिला जयपुर
4. उपखण्ड अधिकारी चौमूं
5. तहसीलदार, चौमूं
6. गार्ड पत्रावली।

जिला कलक्टर,
जयपुर

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

एफ.8(2) आ.प्र.एवं सहा/बाढ़/2022/9362-63 जयपुर, दिनांक 26/07/22

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय :– राज्य आपदा मोचन निधि में अनुज्ञेय प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ से **क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के Restoration** के संबंध में दिशा–निर्देश।

संदर्भ :– भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.04.2015 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्ड के बिन्दु संख्या 10 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य में मानसून के दौरान अनेक स्थानों पर बाढ़ के कारण सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (जैसे सडक, पुलिया, बांध, नहर, हैण्डपम्प, स्कूल भवन, आंगनबाडी भवन, सामुदायिक हॉल एवं बिजली तंत्र आदि) क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना रहती है। बाढ़ से सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को होने वाली इस प्रकार की क्षति की तात्कालिक Restoration का प्रावधान राज्य आपदा मोचन निधि के बिन्दु संख्या 10 में अनुज्ञेय है। इसके तहत उन्हीं कार्यों को हाथ में लिया जा सकता है, जिसके कारण आपदा प्रभावित लोगों का सामान्य जन–जीवन प्रभावित होता है।

इस संबंध में गत वर्ष विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 9851–52 दिनांक 27.07.2021 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के Restoration सम्बन्धी कार्यों के प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति की अभिशंषा उपरान्त जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से अनुमोदित प्रस्ताव जिला कलक्टर इस विभाग को प्रेषित करेगें। जिला कलेक्टर (सहायता) निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव विभाग को भिजवाये जिसमें क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का वर्गीकरण, क्षति की दिनांक, क्षति की दिनांक को वास्तविक वर्षा, क्षति का मुख्य कारण तथा क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन आदि की सूचना होना आवश्यक है, ताकि प्रस्तावों की समीक्षा किया जाना संभव हो सके। जिला कलक्टर द्वारा प्रेषित प्रस्तावों में यह प्रमाण पत्र अवश्य अंकित होना चाहिए कि प्रस्तावित कार्य बाढ़/अत्यधिक वर्षा से ही क्षतिग्रस्त हुए है, जिसकी तात्कालिक Restoration करवाया जाना आवश्यक है, ताकि सामान्य जन–जीवन प्रभावित न हो।

प्राकृतिक आपदाओं से सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्रों में ही प्रस्ताव भिजवाये जाने पर विभाग द्वारा अनुमोदन किये जाने के उपरान्त ही जिला कलेक्टर

कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे। तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग/संस्था द्वारा जारी की जायेगी तत्पश्चात् जिला कलक्टर कार्यालय तात्कालिक Restoration के लिए आवश्यक बजट की मांग इस विभाग को Online विभाग के वेबपोर्टल पर भेजेगें।

इस विषय में निम्नलिखित दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

1. प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के Restoration के प्रस्ताव जिला कलक्टर सर्वप्रथम उपखण्ड स्तरीय समिति से परीक्षण/सत्यापन करवाये। उपखण्ड स्तरीय समिति यह आश्वस्त होने के बाद ही, कि परिसम्पत्ति की क्षति बाढ़ के कारण ही हुई है तथा सामान्य जन–जीवन को बाधित होने से बचाने के लिए उसकी तात्कालिक मरम्मत आवश्यक है, अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रेषित करेगी।
2. उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा प्राप्त होने पर उक्त प्रस्तावों को जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कराते हुए जिला कलक्टर प्रस्ताव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को निर्धारित प्रपत्र में भिजवायेंगें। प्रस्तावों के साथ यह प्रमाण–पत्र भी देना होगा कि प्रस्तावित कार्य बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई परिसम्पत्ति से ही सम्बन्धित है एवं एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार है।
3. आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जिला कलेक्टर से प्राप्त प्रस्तावों का **अनुमोदन किये जाने के उपरान्त** जिला कलेक्टर अनुमोदित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति अपने स्तर पर जारी करेगें। अनुमोदित कार्यों को जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में भी स्वीकृत कराया जाये।
4. सम्बन्धित विभाग/कार्यकारी संस्था, जिला कलक्टर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में, तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी करेंगे।
5. प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त जिला कलक्टर, तात्कालिक Restoration के कार्यों हेतु, आवश्यक बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार इस विभाग को Online प्रेषित करेंगे।
6. आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग से बजट आवंटन प्राप्त होते ही जिला कलक्टर बजट आवंटन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी करेंगे।
7. वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। यदि बजट आवंटन से पूर्व कोई कार्य प्रारम्भ करा लिया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

8. तात्कालिक Restoration कार्यों की तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी एजेंसी/संस्था/संबंधित विभाग द्वारा सक्षम स्तर से जारी की जायेगी।

9. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तियां PWF&AR एवं RTPP नियम के अनुसार मान्य होगी।

10. जिला कलेक्टर द्वारा तात्कालिक Restoration कार्यों से संबंधित कार्यकारी ऐजेन्सी को बजट का हस्तान्तरण/आंवटन नही किया जाकर उनके द्वारा पारित बिलों के आधार पर अपने स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में कृपया विभागीय पत्र क्रमांक 12199–231 दिनांक 03.10.2008 का अवलोकन करें, जिसमें स्पष्ट है कि रनिंग/फाइनल बिल का भुगतान जिला कलक्टर कार्यालय स्तर से कोष कार्यालय के मार्फत ही किया जाये।

11. बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के Restoration में यह ध्यान रखा जावे कि परिसम्पत्तियों का तात्कालिक Restoration ही किया जाना है, न कि नया निर्माण। इस सम्बन्ध में कृपया एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स में दिये गये प्रावधानों की आवश्यक रूप से पालना करें।

12. क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के Restoration कार्य, कार्य प्रारम्भ करने की तिथी से 30 दिवस तक आवश्यक रूप से पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

13. **राज्य आपदा मोचन निधि के बिन्दु संख्या 10 एवं उसके परिशिष्ट की पूर्ण पालना के अनुसार गणना कर सड़कों/पुलों के प्रस्ताव इस विभाग को प्रेषित करें।**

14. क्षतिग्रस्त नहरों/बांधों के प्रस्ताव भिजवाते समय जिला कलेक्टर सम्बन्धित विभाग/कार्यालय से यह प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करें कि नहरों का उपयोग सिंचाई/पेयजल कार्यों के लिये निरन्तर लिया जा रहा है तथा इसके क्षतिग्रस्त होने से इसका प्रभाव जनजीवन पर हो रहा है। क्षतिग्रस्त नहरों/बांधों के तात्कालिक मरम्मत के प्रस्ताव भिजवाते समय यह स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि प्रेषित प्रस्ताव लघु सिंचाई परियोजना से संबंधित है अथवा मध्यम/वृहत सिंचाई परियोजना से संबंधित है। एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार मध्यम एवं वृहत सिचांई परियोजना के लिय ग्रामीण सड़को को देय सहायता के अनुसार अर्थात प्रति कि.मी. 60,000/– रूपये एवं लघु सिंचाई योजना हेतु प्रति स्कीम 1.50 लाख रूपये का प्रावधान है।

15. **पूर्व वर्षों में यह देखा गया है कि क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (जैसे सडक, पुलिया, बांध, नहर, हैण्डपम्प, स्कूल भवन, आंगनबाडी भवन, सामुदायिक हॉल एवं बिजली तंत्र आदि) की मरम्मत हेतु माह दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी तक प्रस्ताव प्रेषित किये जाते है। एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार तात्कालिक Restoration किया जाना ही अनुमत है। अतः क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के**

प्रस्ताव दिनांक 30 अक्टूबर तक विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, इसके पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

16. तात्कालिक Restoration के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जिला कलक्टर कार्यालय, संबंधित कार्यकारी संस्थाओं से, पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को इससे अवश्य अवगत करावें। समस्त कार्य बजट आवंटित किये गये वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण किये जाने आवश्यक है। तात्कालिक Restoration के कार्यों से संबंधित देनदारियां आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाने पर उनका भुगतान कार्यकारी संस्था द्वारा स्वयं के बजट मद से किया जायेगा। आपदा के समय करवाये गये कार्यों के बिलों का सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, कार्यकारी संस्था के तकनीकी अधिकारी एवं स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि के द्वारा सत्यापन होना आवश्यक है। उक्त सत्यापन के अभाव में आपदा के दौरान करवाये गये कार्यों के भुगतान हेतु बजट की मांग पर विभाग द्वारा विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(अभय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :– समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान को सूचनार्थ प्रेषित है।

शासन उप सचिव